उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग-1
संख्या-1/2017/3295/55-पर्या-2016-108(पर्या)/2016
लखनऊ : दिनांक : 16 मार्च, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 28-03-2016 को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 के सम्बन्ध में प्रख्यापित अधिसूचना के नियम-12(4)(5) एवं (6) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन निम्नवत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1- जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2- उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जनपद से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अथवा सहायक पर्यावरण अभियन्ता/सहायक वैज्ञानिक अधिकारी- सदस्य
3- जनपद मुख्यालय स्थित नगर निकाय के नगर आयुक्त/ अधिशासी अधिकारी - सदस्य
4- अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, नगर निकाय - सदस्य
5- इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष - सदस्य
6- क्षेत्र में कार्यरत कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेन्ट फेसिलिटी व्यवस्था/व्यवस्थाओं के प्रतिनिधि - सदस्य
7- जिलाधिकारी द्वारा नामित पंजीकृत गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन के (एन0जी0ओ0) जो बायो-मेडिकल वेस्ट क्षेत्र में कार्यरत हों, के प्रतिनिधि - सदस्य
8- मुख्य चिकित्सा अधिकारी - सदस्य-संयोजक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- उपरोक्तानुसार गठित समिति आवश्यकतानुसार अन्य सदस्यों एवं विशेषज्ञों को भी सदस्य के रूप में सम्मिलित कर सकती है।

3- समिति प्रत्येक दो माह में बैठक करके अपनी संस्तुतियां राज्य सलाहकार समिति को प्रत्येक छः माह में प्रस्तुत करेगी एवं इसकी एक-एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित करेगी।

4- उक्त समिति का गठन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति से किया जा रहा है।

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-**1/2017/**3295(1)/55-पर्या-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण।
2- प्रमुख सचिव,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण/पशुधन/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रषित कि कृपया अपने-अपने जनपदों में उक्तानुसार गठित समिति के अन्य सदस्यों को अपने स्तर से इसकी प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उमेश चन्द्र)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in